



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या-3159-औस/2012-11(1)ए०एस०/2009

दिनांक 10 अक्टूबर, 2012

विषय :- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की दिनांक 31.12.2012 तक मान्यता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त संलग्न सूची में इंगित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता अवधि बढ़ाये जाने हेतु सम्बन्धित चिकित्सालय से मांगी गयी सूचना प्राप्त न होने के कारण तथा कारपोरेशन कर्मियों के उपचार में व्यवधान/असुविधा न हो इस तथ्य के दृष्टिगत पूर्ववत् कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औस-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औस-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत ज्ञाप संख्या-2179-औस/2012-11(1) ए०एस०/09 दिनांक 16.07.2012 के अनुक्रम में संलग्न सूची में इंगित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की दिनांक 30.09.2012 के उपरान्त अग्रतर मान्यता अवधि दिनांक 01.10.2012 से दिनांक 31.12.2012 तक के लिए एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

- 1 सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों को जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण पत्र यदि 31.12.2012 से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
- 2 कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि दिनांक 31.12.2012 से पूर्व कभी भी सूची के समस्त अथवा किसी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- 3 संलग्न सूची में इंगित चिकित्सालयों द्वारा कारपोरेशन के पत्र संख्या-435-औस-17/पाकालि/12-11(1)ए०एस०/09, दिनांक 12.02.2012 एवं अनुस्मारक सं०-1465-औस/2012-11(1)ए०एस०/09 दिनांक 25.05.2012 द्वारा मांगी गयी सूचनायें दिनांक 31.12.2012 तक प्राप्त हो जाने की स्थिति में ही इनकी मान्यता अग्रतर बढ़ाये जाने पर विचार किया जायेगा।

संलग्नक - 47 चिकित्सालयों की सूची।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)

संख्या: 3179-(1) औस/2012-तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

Not Match
10.10.12 कमरा: 2/-

- 3- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 4- निदेशक (आपरेशन)/(प्रोजेक्ट)/(कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 8- समस्त उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उपमुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी/ निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्नक चिकित्सालयों की सूची को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
- 12- प्रबन्धकगण -सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
- 13- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 14- कट फाइल।

Nat Matti
 10.10.12
 (नवनीत माथुर)
 कार्मिक अधिकारी

कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3179 -औ0सं0-17/2012-11(1)ए0एस0/2009 दिनांक 06.10.2012 का अनुलग्नक सूचीबद्ध चिकित्सालय की मान्यता दिनांक 31.12.2012 तक बढ़ायी गई है।

(उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित सभी ऐलोपैथिक/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/युनानी आदि चिकित्सालय/संस्थान स्वतः कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है।)

चिकित्सालयों का नामों की सूची

जनपद/क्रम सं०	चिकित्सालय का नाम	मान्यता की अवधि
लखनऊ	1. सेवा हास्पिटल, सीतापुर रोड़, लखनऊ।	31.12.2012
	2. आई0क्यू0 विजन प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)।	31.12.2012
	3. अग्रवाल आई फाउण्डेशन, 3 सी (ए) तिलक मार्ग, लखनऊ।	31.12.2012
	4. ओ0पी0 चौधरी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर चौधरी बिहार, रायबरेली रोड़, लखनऊ।	31.12.2012
	5. सेन्टर फार न्यूरो साइन्सेज एण्ड ट्रामा, 20/154, निकट सेक्टर -25 कासिंग, रिंग रोड़, इन्दिरानगर, लखनऊ।	31.12.2012
	6. दि सुश्रुत हास्पिटल मैटननिटी एण्ड ट्रामा सेन्टर, सीतापुर रोड़, लखनऊ।	31.12.2012
सहारनपुर	7. तारावती सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल, बजोरिया रोड़, सहारनपुर-247001	31.12.2012
	8. सक्षम हास्पिटल, सहारनपुर।	31.12.2012
मेरठ	9. तुलसी हास्पिटल, सत्राट पैलेस, गढ़ रोड़, मेरठ।	31.12.2012
	10. भोपाल हास्पिटल, बेगमब्रिज रोड़, मेरठ।	31.12.2012
	11. राकेश डेंटल हास्पिटल, हापुड़ रोड़, मेरठ। (एकल विशिष्टता)।	31.12.2012
	12. निमहेन्स हास्पिटल 281,283 सेक्टर-1, मंगल पाण्डेय नगर, सी0सी0एस0 यूनीवर्सिटी के सामने, मेरठ।	31.12.2012
बरेली	13. चौहान संजीवनी क्लीनिक एण्ड रिसर्ज सेन्टर, 136-सिविल लाइन्स, बरेली।	31.12.2012
	14. धर्मदत्त सिटी हास्पिटल, गाँधीनगर, बरेली।	31.12.2012
	15. महाजन न्यूरो सेन्टर एण्ड जनरल हास्पिटल, सिविल लाइन्स, बरेली।	31.12.2012
	16. गंगाशील एडवान्स मेडिकल रिसर्ज इन्स्टीट्यूट, सी-17, दीनदयालपुरम्, बरेली।	31.12.2012
	17. श्री गंगा चरण अस्पताल, रामपुर गार्डन, बरेली।	31.12.2012
	18. डा0 समीर गोयल, डेंटल केयर, रामपुर गार्डन, बरेली।	31.12.2012
गाजियाबाद	19. गणेश हास्पिटल, नेहरू नगर, गाजियाबाद।	31.12.2012
नोयडा	20. नोयडा मेडिकल सेन्टर, नोयडा।	31.12.2012
	21. नोयडा मेडिकेयर लिमिटेड, गोतमबुद्ध नगर, नोयडा।	31.12.2012
	22. फोर्टिस हास्पिटल, नोयडा	31.12.2012

Naf Mathi
10-10-12

कानपुर	23.	संजीवनी हास्पिटल, 766-लखनपुर अवधपुरी, कानपुर।	31.12.2012
	24.	संतोष हास्पिटल, बारह देवी चौराहा, जूही, कानपुर।	31.12.2012
इलाहाबाद	25.	वात्सल्य मैटरनिटी एण्ड रिसर्ज सर्जिकल सेन्टर प्रा0लि0, इलाहाबाद।	31.12.2012
	26.	प्रीती हास्पिटल, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद।	31.12.2012
आगरा	27.	एस0आर0 मेडिकल इन्स्टीट्यूट, साई का तकिया, प्रतापपुरा कैट, स्टेशन रोड, आगरा।	31.12.2012
	28.	पुष्पाजंलि हास्पिटल, देहली गेट, जायर्स कालोनी (हरिपर्वत के निकट), आगरा।	31.12.2012
	29.	अपोलो पंकज हास्पिटल, आगरा-मथुरा रोड एन0एच0-2, आर्टोनी, आगरा-282007	31.12.2012
	30.	उपाध्याय हास्पिटल, शहीदनगर कासिंग, आगरा-282001	31.12.2012
वाराणसी	31.	हेरिटेज हास्पिटल, लंका वाराणसी।	31.12.2012
	32.	वरदान हास्पिटल एण्ड लैप्रोस्कोपिक सेन्टर, एस-2/1, टैगोर टाउन भोजुवीर, वाराणसी।	31.12.2012
गोरखपुर	33.	सावित्री हास्पिटल एण्ड रिसर्ज सेन्टर दिलेजाकपुर, गोरखपुर-273001	31.12.2012
	34.	आर्यन हास्पिटल, दाऊदपुर, नहर रोड, गोरखपुर।	31.12.2012
शाहजहाँपुर	35.	शेखर हास्पिटल, जेल रोड, अन्टा शाहजहाँपुर।	31.12.2012
	36.	श्री साई हास्पिटल, ननसरोवर कालोनी, देहली रोड (लोकोशेड ब्रिज के पास), मुरादाबाद-244001	31.12.2012
आजमगढ़	37.	महामृत्युन्जय हास्पिटल, इतौरा चन्देश्वर, आजमगढ़।	31.12.2012
मुजफ्फरनगर	38.	वर्धमान ट्रामा एण्ड लेप्रोस्कोपी सेन्टर, मुजफ्फरनगर।	31.12.2012
झाँसी	39.	कपूर हास्पिटल, सिविल लाइन्स, झाँसी।	31.12.2012
मोदीनगर	40.	जीवन हास्पिटल एण्ड स्टोन सेन्टर, जी0टी0 रोड, मोदीनगर।	31.12.2012

निम्नलिखित मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों द्वारा कर्मचारियों से निर्धारित दरो से अधिक धनराशि वसूल की गई है जिसे वापस करने हेतु उन्हें निदेशित किया एवं अनुस्मारक पत्र भी भेजे गये परन्तु उन्होंने सम्बन्धित कर्मचारी को अधिक वसूल की गई धनराशि वापस नहीं की और कारपोरेशन की शर्तों का उल्लंघन किया है अतः कारपोरेशन के कार्मिकों को तत्काल असुविधा न हो इसलिए इन चिकित्सालयों की मान्यता दिनांक 31.12.2012 तक बढ़ायी जाती है। यदि इस अवधि में इन चिकित्सालयों द्वारा लम्बित अधिक धनराशि चार्ज किये गये प्रकरणों का समुचित निस्तारण नहीं किया तो दिनांक 31.12.2012 के बाद मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी :-

1. जावित्री हास्पिटल, तेलीबाग, लखनऊ।
2. सहारा हास्पिटल, लखनऊ।
3. उजाला हास्पिटल, इन्दिरानगर, लखनऊ।
4. राज आई हास्पिटल एण्ड लेजिक सेन्टर, गोरखपुर।
5. बी0एन0के0 हास्पिटल, निराला नगर, लखनऊ।
6. निशात हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, लालबाग, लखनऊ।
7. मेयो हास्पिटल सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, गोमतीनगर, लखनऊ।

Nat Mathur
 (नवनीत माथुर)
 कार्मिक अधिकारी
 10/10/12